



Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:40970

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आवेदन अं./धा. 528 भा.ना.सु.सं., सं. - 2365 वर्ष 2026**

रवि उर्फ रवि सोनकर उर्फ बिंदू

.... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ
एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अनूप कुमार उपाध्याय

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय सं. - 13**माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि**

1. श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता ने विरोधी पक्षकार सं. 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल करके अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की है और इसे अभिलेख पर लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अधि. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान आवेदन, मुकदमा अपराध सं. 385/2025, अंतर्गत धारा 376, भा.दं.सं., पुलिस थाना - कोतवाली नगर, जिला-गोंडा, (राज्य बनाम रवि सोनकर उर्फ बिंदू) में अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल आक्षेपित आरोप-पत्र सं. 01 दिनांक 15.07.2025, और सत्र परीक्षण सं. 1704/2025 में विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 29.08.2025, और विद्वान् अप जिला एवं सत्र न्यायाधीश/दु.ग.न्या. प्रथम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(महिलाओं के विरुद्ध अपराध), गोंडा द्वारा **13.03.2026** को विरचित आरोपों को निरस्त करने के लिए दाखिल किया गया है।

4. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। वह अग्रतर कहते हैं कि किसी गलतफहमी के कारण आवेदक के विरुद्ध यह प्र.सू.रि. दर्ज की गई है, और तत्पश्चात् पक्षकारों ने आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझा लिया है। समझौते दिनांक **25.05.2026** को लिखित रूप में तैयार किया गया है, जिसे प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्नक सं. 5 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने अग्रतर कहा है कि अब पक्षकारों के बीच एक-दूसरे से कोई शिकायत नहीं है, और आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां निरर्थक कार्य हैं, क्योंकि विचारण का कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है, और यह केवल आवेदक को परेशान करना है, और इसलिए आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां निरस्त की जाएं।

5. दूसरी ओर, विरोधी पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है, और निवेदन करते हैं कि पक्षकारों ने आपसी समझौते के माध्यम से अपना विवाद सुलझा लिया है, और विरोधी पक्षकारों को अब वर्तमान आवेदक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है और आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां बंद की जा सकती हैं।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अ.शा.अधि. को उपर्युक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. अब, क्या पक्षकारों ने वास्तव में मामले में समझौता किया है या नहीं, यह अवर न्यायालय द्वारा ही सर्वोत्तम रीति से सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे समझौते का न्यायालय के समक्ष संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में सम्यक् रूप से सत्यापन किया जाना है।

8. तदनुसार, इस आवेदन का निस्तारण, इस निदेश के साथ किया जाता है कि यदि न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई समझौता प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा। और तत्पश्चात्, समझौते को सत्यापित करने की कार्यवाही करेगा। यदि उपर्युक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और समझौते को अभिलेख का भाग बनाया जाएगा।

9. ऐसी स्थिति में, न्यायालय पक्षकारों को रिपोर्ट और समझौते की प्रमाणित प्रति लेने की अनुमति देगा। और आवेदक कार्यवाही निरस्त करवाने के लिए पुनः इस न्यायालय में आने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. तीन महीने की अवधि के लिए, मुकदमा अपराध सं. 385/2025, अंतर्गत धारा 376, भा.दं.सं., पुलिस थाना - कोतवाली नगर, जिला गोंडा में अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल आरोप-पत्र सं. 01 दिनांक 15.07.2025, (राज्य बनाम रवि सोनकर उर्फ बिंदू) के अनुसरण में संस्थित कार्यवाहियां, और विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोंडा द्वारा सत्र परीक्षण सं.-1704/2025 में पारित संज्ञान लेने/समन आदेश दिनांक 29.08.2025, और विद्वान्

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/द्व.ग.न्या. प्रथम (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), गोंडा द्वारा

13.03.2026 को विरचित आरोप, जहां तक आवेदक का संबंध है, स्थगित रहेंगे।

11. विचारण न्यायालय को इस तथ्य की परीक्षा करने के लिए निदेशित किया जाता है

कि क्या सभी पक्षकार, जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, वही समझौते में

पक्षकार हैं, और कि इस संबंध में, इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए

जाने की दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर, वे सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी

भेजें।

12. कार्यालय को, मूल समझौता विलेख यदि कोई हो, की फोटोप्रति लेने के बाद उसे

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता को वापस करने का निदेश दिया जाता है।

((न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी)

जून 12, 2026

वी. सिन्हा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।